

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि०सू० संख्या-भवन/10/निग०(आरोप)-36/2017.....3721(अ) पटना, दिनांक- 2.5.17

:: अधिसूचना ::

श्री वृजा सिंह, सहायक अभियंता, राजेन्द्रनगर अवर प्रमंडल, भवन प्रमंडल, पटना, भवन निर्माण विभाग, पटना जो निगरानी थाना काण्ड संख्या-018/2017 दिनांक-02.03.2017 धारा-7/13 (2)-सह- पठित धारा-13 (1) (डी) भ्र०नि०अधि०, 1988 के प्राथमिक अभियुक्त हैं, को दिनांक-02.03.2017 से न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर पटना में भेजा गया है। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-09 (2) (क) के अतिरिक्त नियम-09 (1) (ग) के अंतर्गत इन्हें दिनांक-02.03.2017 (न्यायिक हिरासत की तिथि) से अगले ओदश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. हिरासत अवधि से रिहा होने के पश्चात श्री सिंह का मुख्यालय, मुख्य अभियंता (पटना) का कार्यालय, पटना निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के अपर सचिव,

✓ भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/10/निग०(आरोप)-36/2017.....3722(अ) पटना, दिनांक- 2.5.17

प्रतिलिपि:-उप सचिव, ई० गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,

✓ भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/10/निग०(आरोप)-36/2017.....3722(अ) पटना, दिनांक- 2.5.17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,

✓ भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/10/निग०(आरोप)-36/2017.....3722(अ) पटना, दिनांक- 2.5.17

प्रतिलिपि:-माननीय उप मुख्य (भवन निर्माण विभाग) मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/उप सचिव, भवन निर्माण विभाग/अवर सचिव, मुख्यालय (लेखा)/सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग सभी प्रशाखा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,

✓ भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।